विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-9 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
9 (क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि कितने हार्स पावर तक के पम्पिंग सेट पर कितनी धनराशि की छूट का प्राविधान किया गया है?	कृषि विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत पम्पसेट पर भारत सरकार की वर्तमान गाइडलाइन्स में पम्पिंग सेट का हॉर्स पावर निर्धारित नहीं है। पम्पिंग सेट पर अधिकतम रू० 10,000/- या मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है। लघु सिंचाई विभाग की सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से गत वर्षों में पूर्ण बोरिंग पर 5 हार्स पावर से 10 हार्स पावर तक के डीजल पम्पसेट पर अनुदान का विवरण निम्नवत् हैः- • सामान्य श्रेणी के लघु कृषक हेतु रु० 18000/- • सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक हेतु रू० 25200/- • अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को रू० 32400/- लघु सिंचाई विभाग द्वारा अधिकतम छूट प्रदान की जाती है।
(ख) किसानों को सिंचाई हेतु दिये जाने वाले पम्पिंग सेट का कितना मूल्य है?	कृषकों द्वारा क्रय किये गये ब्राण्ड अनुसार पम्प सेट का बाजार मूल्य भिन्न-भिन्न हो सकता है।
(ग) जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 01.04.2022 से 01.01.2024 तक कितने पम्पिंग सेटों की बिक्री की गई है?	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 01.01.2024 तक जनपद सिद्धार्थनगर में 10 पम्प सेट पर 1,00,000/- का अनुदान दिया गया है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 01.01.2024 तक कुल 352 कृषकों को पम्प सेट पर कुल रू० 97.63 लाख का अनुदान दिया गया है।
(घ) उक्त पम्पिंग सेटों पर छूट का प्राविधान कब से किया गया है?	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 से पम्पिंग सेटों पर छूट का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के शासनादेश संख्या-07/2022/एम०एस०45/76-4-2022-2/2(22)/2022,दिनांक 14.10.2022 द्वारा उपरोक्तानुसार अनुदान अनुमन्य है।

सूर्य प्रताप शाही
कृषि मंत्री।